



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax
021-2612086

क्रमांक: F37(3)/ नि.आ./पीएसी/का.वि./2018/3758

दिनांक:- 14.02.2018


-:कार्यवाही विवरण:-

प्रोजेक्ट अप्रुवल कमेटी की 1/2018 वीं बैठक दिनांक 07.02.2018 को प्रातः 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। साथ ही निम्न प्रकरणों में ले-आउट प्लान व भवन मानचित्र पृथक से भवन मानचित्र समिति (एलपी व बीपी) में अनुमोदन करवाया जाना होगा। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
01	पूर्व	राजस्व ग्राम नान्दड़ी के खसरा संख्या 62/2 मीन क्षेत्रफल 11959.83 वर्गगज (9999.93 वर्गमीटर) पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के provision 3A के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्रीमती आशा मोदी पत्नी श्री सीताराम मोदी। निवासी-154, लक्ष्मी नगर, पावटा सी रोड, जोधपुर। (जोन पूर्व)	प्रकरण प्रोजेक्ट अप्रुवल समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रोविजनल प्रोजेक्ट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि को न्यूनतम 30 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 3. प्रकरण में अग्रिम अनुमोदन से पूर्व डीपीआर प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सूचित करे।
02	उत्तर	राजस्व ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 40 के रकबा 04 बीघा खसरा संख्या 41 रकबा 05 बीघा, खसरा संख्या 42 रकबा 05.01 बीघा कुल रकबा 20.05 बीघा में से आवेदित रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा 06 बिस्वांशी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ बाबत (मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रोविजन 3ए के तहत)। आवेदक :- श्री ब्रहमसिंह परिहार पुत्र श्री मंगलसिंह, श्री चिमनसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह परिहार व श्रीमती सुआदेवी पत्नि श्री मंगलसिंह परिहार (जोन उत्तर)	प्रकरण प्रोजेक्ट अप्रुवल समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रोविजनल प्रोजेक्ट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि को न्यूनतम 30 फीट पहुंच मार्ग गैर अनुमोदित योजना के खातेदारों से उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 3. प्रकरण में अग्रिम अनुमोदन से पूर्व डीपीआर प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सूचित करे।
03	उत्तर	राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 17 के रकबा 34-03 बीघा में से 06-05 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रोविजन 3ए के तहत) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री चौथाराम पुत्र श्री जोराराम (जोन उत्तर)	प्रकरण प्रोजेक्ट अप्रुवल समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रोविजनल प्रोजेक्ट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि को न्यूनतम 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 3. प्रकरण में अग्रिम अनुमोदन से पूर्व डीपीआर प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सूचित करे।
04	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 54/3 के रकबा 11 बीघा में से 05.18.16 बीघा भूमि का आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रोविजन 3ए के तहत) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री कालुराम पुत्र श्री भगवानराम (जोन दक्षिण)	प्रकरण प्रोजेक्ट अप्रुवल समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रोविजनल प्रोजेक्ट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि को खसरा संख्या 702, 703, 727 की स्वीकृत योजना में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 3. प्रकरण में अग्रिम अनुमोदन से पूर्व डीपीआर प्राधिकरण कार्यालय में

			प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सूचित करे।
05	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 441/2, 441/7, 441/8 के रकबा 05.08.00 बीघा भूमि का आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना- 2015 के प्रोविजन 3ए के तहत) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- मैसर्स कृष्णा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स जरिये भागीदार श्री प्रियांश चौधरी (जोन दक्षिण)	प्रकरण प्रोजेक्ट अप्रुवल समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रोविजनल प्रोजेक्ट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि को गैर अनुमोदित योजना में से न्यूनतम 30 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 3. प्रकरण में अग्रिम अनुमोदन से पूर्व डीपीआर प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सूचित करे।
06	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 8/2, 8/2/1, 8/3 के रकबा 07 बीघा भूमि का आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना- 2015 के प्रोविजन 3ए के तहत) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- मैसर्स अनमोल प्राईम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये घनश्याम धूत वगैरह (जोन दक्षिण)	प्रकरण प्रोजेक्ट अप्रुवल समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रोविजनल प्रोजेक्ट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि वैशाली टाउनशिप से गंगाणा रोड जाने वाले कटाण मार्ग पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावे। 2. आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 3. प्रकरण में अग्रिम अनुमोदन से पूर्व डीपीआर प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सूचित करे।
07	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 251/5 के रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा 08 बिस्वांशी भूमि का आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रोविजन 3बी के तहत) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री धानाराम पुत्र श्री प्रभुराम (जोन दक्षिण)	प्रकरण प्रोजेक्ट अप्रुवल समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रोविजनल प्रोजेक्ट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि को न्यूनतम 30 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 3. प्रकरण में अग्रिम अनुमोदन से पूर्व डीपीआर प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सूचित करे।
08	दक्षिण	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 132 का आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रोविजन 3 ए के तहत) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- नमो रियलमार्ट प्राईवेट लि. जरिये डायरेक्टर श्री दीपक मेहता (जोन दक्षिण)	प्रकरण प्रोजेक्ट अप्रुवल समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि प्रकरण में जोन स्तर पर जांच विचाराधीन है। अतः समिति द्वारा प्रकरण को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(पी.आर.बेनीवाल)


निदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,

दिनांक:- 14.02.2018

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./पीएसी/का.वि./2018/ 3758-3768
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
9. विशेषाधिकारी अध्यक्ष, जो.वि.प्रा. जोधपुर को सूचनार्थ।
9. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करें।


निदेशक (आयोजना),

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 01/2018 वीं बैठक दिनांक 07.02.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | संयोजक |
| 3. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण कुमार उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 7. श्रीमति चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर। | सदस्य |
| 8. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 9. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)